

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 254] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 29, 1975/पीव 8, 1897

No. 254] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 29, 1975/PAUSA 8, 1897

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF COMMERCE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 29th December 1975

SUBJECT.—*Import of E.C. Grade Aluminium.*

No. 133-ITC(PN)/75.—In view of the improved availability of E C Grade Aluminium from indigenous sources and with a view to conserving foreign exchange, it has been decided not to allow any further imports of E.C. Grade Aluminium. Accordingly, import licences already issued to actual users, registered exporters and others for the import of E.C. Grade Aluminium shall not be valid for import, except to the extent the shipments have already been made or firm commitments backed by irrevocable letters of credit have been made on or before the date of this Public Notice.

2 The policy for the import of E C Grade Aluminium may be deemed to have been amended accordingly.

(MISS) ROMA MAZUMDAR,
Chief Controller of Imports and Exports.

वाणिज्य संचालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1975

विषय.—ई. सी. ग्रेड ऐल्यूमीनियम का आयात ।

संख्या 133-आई टी सी (पी एम)/75.—वेसी स्रोतों से ई० सी० ग्रेड ऐल्यूमीनियम की सुलभता को ध्यान में रखते हुए और विदेशी मुद्रा की सुरक्षा के विचार से यह निश्चय किया गया है कि ई०सी० ग्रेड ऐल्यूमीनियम के आयात की और आगे कोई अनुमति न दी जाए । तदनुसार, वास्तविक उपभोक्ताओं, पंजीकृत निर्यातकों और अन्यो को ई०सी० ग्रेड ऐल्यूमीनियम के आयात के लिए पहले से ही जारी किए गए आयात लाइसेंस इस सार्वजनिक सूचना की तारीख को या इससे पूर्व पोटलदान पहले ही कर दिया गया है या अपरिवर्तनीय साख पत्र के साथ पक्का परेक्षण कर दिया गया है तो उन मामलों को छोड़कर और किसी आयात लिए वैध नहीं होंगे ।

2. ई०सी० ग्रेड ऐल्यूमीनियम के आयात के लिए नीति को तदनुसार संशोधित किया गया समझा जाए ।

कुमारो रोमा मजूमदार,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात ।